न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS

पत्रावली संख्या : 47/20 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2020/00203

अनवान्

1. श्री चुन्नीलाल पिता स्व. रामचन्द्र माली निवासी शनिमन्दिर के पीछे बापूनगर सेंती, चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
2. श्री नन्दकिशोर पिता स्व. रामचन्द्र माली निवासी शनिमन्दिर के पीछे बापूनगर सेंती, चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता स्व. देवा माली निवासी पलानाकलां तह. मावली।
2. श्री मोहनलाल पिता स्व. देवा माली निवासी पलानाकलां तह. मावली।
3. श्री लहरीलाल पिता मगनलाल माली निवासी पलानाकलां तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का पलानाकलां तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री जितेन्द्र लक्षकार, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय माडोते, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 02.11.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1697, 1707, 1741 किता 8 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के पिता स्व. रामचन्द्र जी पिता देवाजी के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज है एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा विपक्षी सं. 3 का 1/8 हिस्सा हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 2113, 2169, 2243 किता 3 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा। उक्त वर्णित आराजीया प्रार्थीगण के पिता स्व. रामचन्द्र जी पिता देवाजी के नाम 19/324 हिस्से से दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 3 का 1/8 हिस्सा है परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 2257, 2258, 2259,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 13:16:08 IST
Reason: SelfAttested

2260, 2271, 3379/1713 किता 6 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के पिता स्व. रामचन्द्र जी पिता देवा जी के नाम 95/508 हिस्से से दर्ज हैं। विपक्षी सं. 2 का 1/4 हिस्सा, विपक्षी सं. 3 का 1/8 हिस्सा हैं।

2. यह कि परिशिष्ट अ, ब, स में वर्णित जमीन जो संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व विपक्षीगण के नाम से हिस्सेनुसार उपरोक्तानुसार दर्ज हैं। उपरोक्त आराजीयात हमारे दादा देवा पिता नन्दा के नाम दर्ज थी उनके विधिक वारिसान का सजरा परिवार निम्न है :–

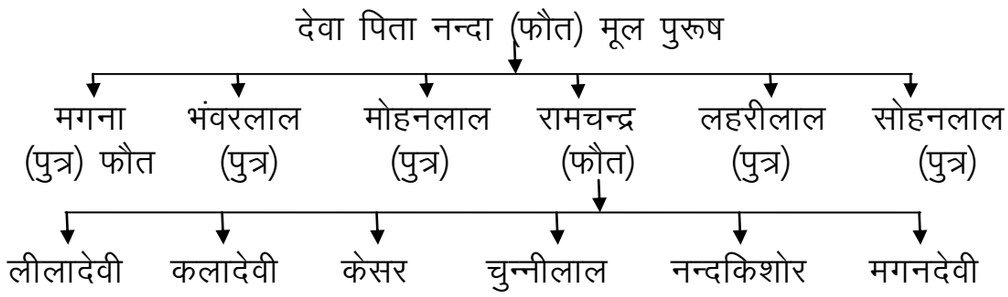

3. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब, स में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता स्व. रामचन्द्र जी के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है हमारे पूर्वाधिकारी देवा जी ने अपने जीवनकाल में करीब 50 वर्ष पूर्व ही इनके वारिसान में बंटवारा कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था तभी से प्रार्थीगण के पिता स्व. रामचन्द्र जी उनके हक हिस्से पर काबिज होकर हम प्रार्थीगण उनके साथ अपने हक हिस्से पर काश्त करते हुए आ रहे है लेकिन राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा नहीं होने से विपक्षीगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण के कब्जे की कृषि भूमि पर अवैध रूप से आधिपत्य जमाना चाहते है तथा मौके पर विपक्षीगण के कब्जे काश्त कृषि भूमि कब्जा करना चाहते है तथा बिना बंटवाडा कराये मौके पर हमारे हिस्से की जमीन अजनबी क्रेता को बेचान करना चाहते है मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की जमीन पर जे.सी.बी. चला दी है और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर अजनबी क्रेता को बेचने की धमकिया दे रहे है और बेचने पर आमादा हैं।

4. यह कि हम प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब, स में वर्णित कृषि भूमि में हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण को जन्म से हक व अधिकार प्राप्त है विपक्षीगण संख्या 1 से 3 मौके पर बिना बंटवारा कराये प्रार्थीगण के कब्जे की जमीन अजनबी क्रेता को बेचान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 13:16:08 IST
Reason: SelfAttested

करने पर आमादा है, निर्माण करने पर आमादा है, मौके की स्थिति बदलने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण इनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है, विपक्षीगण ने अगर बिना बंटवारा कराये प्रार्थीगण की कृषि भूमि अजनबी क्रेता को बेचान कर दी या निर्माण करा दिया तो प्रार्थीगण को जो अपूरणीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकता सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। इसलिए प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं।

5. यह कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 08.09.2020 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण अपने गांव पलानाकलां अपनी कृषि भूमि पर गया तो प्रतिवादी सं. 1 व 2, 3 ने सामलाती कृषि भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे पर जे.सी.बी. चला दी और विशेष आराजीयात पर कब्जा कर लिया और बिना बंटवारा कराये अजनबी क्रेता को बेचान करने लिए आमादा हुए और निर्माण करने की कोशिश की वादीगण के द्वारा विरोध करने पर मॉ–बहिन की गालिया दी और मौके पर जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण को बेदखल करने व अजनबी क्रेता को विशेष भूमि बेचान करने की धमकी दी तभी से प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अतः श्रीमान् माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी सं. 1 से 3 के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त करने देवे, उपयोग–उपभोग करने से नहीं रोके, न कोई अवरोध पैदा करे, बिना बंटवारा करे प्रार्थीगण के कब्जे की कृषि भूमि अजनबी क्रेता को उक्त आराजीयात को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस नहीं करे, उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे की कृषि भूमि में कोई नुकसान कारित नहीं करें ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी नौकर–चाकर एजेन्ट से करावे।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का पूर्व में विधिवत् रूप से विभाजन होकर तत्कालीन खातेदारों को अपने अपने हक व हिस्सेनुसार जिस भूमि पर आधिपत्य प्राप्त हुआ वह उस पर काबिज होकर अपने अपने हक व हिस्से की स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा हैं। स्वयं प्रार्थी के पूर्वाधिकारियों ने भी इसी आधार पर पूर्व में लक्ष्मीबाई पत्नी मांगीलाल गुर्जर एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 13:16:08 IST
Reason: SelfAttested

डालचन्द पिता उदा जी मेघवाल को अलग–अलग समय पर भूमियों का विक्रय हस्तान्तरण किया हैं।

8. यह कि उक्त भूमियों का मौके पर विधिवत् विभाजन होकर विपक्षीगण अपने हक व हिस्से की भूमि का स्वतत्रंता पूर्वक उपयोग उपभोग करने तथा पारिवारिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उक्त भूमियों का हस्तान्तरण करने के पूर्ण अधिकारी हैं। कानूनी तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।
9. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित पक्षकारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है विधिक प्रावधान अनुसार उक्त कारण से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय विपक्षी खारिज फरमावें। ताईद मे शपथ पत्र पेश हैं।
10. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा दस्तावेज मय नजीर RLW 2010 (1) RJ 38, RLW 2005 (1) RJ 38, RLW 2005 (1) RJ 334, RLW 2007 (1) RJ 22, RLW 2011 (RJ) 813 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2016 (1) Page 113, RRT 2013 (2) Page 1108 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–
12. *प्रथम दृष्टया मामला* – हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के पिता रामचन्द्र व विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम पर दर्ज हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण विपक्षीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते हैं। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी के पिता रामचन्द्र व विपक्षीगण दोनों ही खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला दोनों के ही पक्ष में साबित होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण व विपक्षीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 13:16:08 IST
Reason: SelfAttested

13. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि के प्रार्थीगण के पिता रामचन्द्र एवं विपक्षी सं. 1 से 3 दोनो ही खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण व विपक्षीगण के पक्ष में निर्णित हुआ हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण व विपक्षीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

14. *अपूरणीय क्षति* – चूंकि वाद वर्णित भूमि के प्रार्थीगण के पिता रामचन्द्र एवं विपक्षी सं. 1 से 3 दोनो ही खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण व विपक्षीगण के पक्ष में निर्णित हुआ हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण व विपक्षीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

15. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता रामचन्द्र व विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम पर दर्ज हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगणों की पैतृक सम्पति होकर उनके दादाजी के समय से चली आना बताया है। प्रार्थी द्वारा घोषणा व बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया है उसी के साथ यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। चूंकि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि बेचान हो चुका हैं एवं विपक्षी सं. 1 से 3 उक्त भूमि को अन्य अजनबी क्रेता को विक्रय करने हेतु आमादा होकर अच्छी किस्म की भूमि पर जबरन कब्जा कराने से विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता रामचन्द्र के नाम पर एवं विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हैं। उभय पक्ष उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि उभय पक्षकारान की सामलाती कृषि भूमि हैं। बिना बंटवाडे के भूमि का विक्रय होकर अजनबी क्रेता जबरन अच्छी व उपजाऊ भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा कर लेते हैं तो इससे मूल खातेदारों के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि भूमि उभय पक्षकारान की सामलाती होने से कोई भी खातेदार बिना बंटवाडा अच्छी किस्म की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लेता है तो इससे अन्य खातेदारों के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 13:16:08 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित हुए हैं। अतः मौके पर शान्ति व्यवस्था कायमी हेतु उभय पक्ष को पाबंद किया जाना उचित हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1697, 1707, 1741 किता 8 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 2113, 2169, 2243 किता 3 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा एवं परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 2257, 2258, 2259, 2260, 2271, 3379/1713 किता 6 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.21 13:16:08 IST
Reason: SelfAttested